

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

संख्या-2/कोर्ट-30-11/15 गृ0आ0

/पटना, दिनांक जुलाई, 2016

विभागीय संकल्प सं0-4743, दिनांक-15.06.2016 द्वारा श्री राज किशोर सिंह तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, बाढ़ सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, शेखपुरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जिसका संचालन पदाधिकारी श्री ए0के0 अम्बेदकर, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक-4800, दिनांक-29.06.2016 द्वारा श्री राजेश त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) को नामित करने किये जाने के फलस्वरूप श्री राजेश त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) को इस विभागीय कार्यवाही के लिए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-2/कोर्ट-30-11/15 गृ0आ0

/पटना, दिनांक जुलाई, 2016

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री ए0के0 अम्बेदकर, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)-सह-संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना/श्री राजेश त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी /श्री राज किशोर सिंह, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, बाढ़ सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि संकल्प की एक प्रति अपने स्तर से श्री सिंह, पुलिस उपाधीक्षक को तामिला कराने की कृपा करेंगे।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-2/कोर्ट-30-11/15 गृ0आ0 5446 /पटना, दिनांक 18 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव